

## NEWSFEED

### **GAIL celebrates 'Azadi ka Amrit Mahotsav'**

As part of the 'Azadi ka Amrit Mahotsav' celebrations, GAIL (India) Limited participated in a mega plantation drive carried out by Central Public Sector Enterprises across the country. As a part of the programme, GAIL carried out plantation drives at its Pata and Vijaipur townships as well as other locations. As part of this, 2,500 were planted in Pata (UP) and 1,600 across Vijaipur township areas (MP). Shri Manoj Jain, CMD, GAIL and Shri Deepak Gupta, Director (Projects) were also pre-



sent on the occasion at Virajpur. Plants were distributed to all employees across GAIL offices. The CPSEs are planting 75,000 saplings across locations such as their townships, residential colonies, offices, production units, etc as part of the AKAM drive.

## गेल के थर्ड पार्टी सुरक्षा प्रस्ताव को सुपरटेक ने ठुकराया

कुटन विद्यारी • जोड़ा

सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर (एफक्स-सियान) को गिराने के लिए नोएडा प्राधिकरण में हाल हुई बैठक में गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने थर्ड पार्टी सुरक्षा आडिट कराने का मांग उठाई थी। उनका कहना था कि टावरों को गिराने में ज्यादा विस्फोटक का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाना होगा। इसके लिए थर्ड पार्टी आडिट कराया जाए। हालांकि सुपरटेक प्रबंधन ने नोएडा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी के सामने ही गेल को इसका जवाब दे दिया। यहीं

● नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने सुपरटेक प्रबंधन ने दिया प्रस्ताव पर जवाब

नहीं गेल कंपनी थर्ड पार्टी सुरक्षा के लिए सुपरटेक से करीब 94 लाख रुपये का मांग की थी। जिसे सुपरटेक प्रबंधन ने सिर से नकार दिया। बता दें दोनों टावरों के पास से ही गेल की पाइपलाइन जा रही है। यदि विस्फोट के दौरान पाइपलाइन को कोई क्षति होती है तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। उधर अफ्रीकन कंपनी ने सुरक्षा मानकों को लेकर गेल को आश्वस्त किया। यहीं नहीं बैठक में सलाहकार कंपनी के बीच धवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई)

● कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद आतक बैठकों में क्यों नहीं दिया गया प्रस्ताव

ने सुपरटेक के समक्ष 72 लाख रुपये का भंजा प्रस्ताव दिया। दोनों ही मामलों में सुपरटेक प्रबंधन ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने ही दिया जवाब। कहा कि जब 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने टावर ध्वस्तकरण का आदेश दिया। तकनीकी परीक्षण की जिम्मेदारी सीबीआरआर को दी। उसके बाद तगम बैठकों को दौर हुआ, उस समय यह प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया। वहीं गेल ने भी आज तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वह आडिट

बाहर से कराना चाहते हैं। क्या इनके वहाँ पर यह कार्य करने के लिए विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। टावर का ध्वस्तकरण 22 मई को होना था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं के कारण सुप्रीम कोर्ट से ध्वस्तकरण को तिथि बढ़ाई गई है। अब इस प्रकार से पैसों के लिए सुपरटेक प्रबंधन पर दबाव बनाना उचित नहीं है। दोनों टावरों को बाहर की ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका जा रहा है। उन फ्लोर के बाहर रैपिंग की जा रही है। जिसमें विस्फोटकों को लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत एटीएस की ओर वाले टावर से की गई है। इसका काम पूरा होने के बाद पूरी इमारत ब्लास्ट के तैयार रहेगी।